EWING CHRISTIAN COLLEGE, PRAYAGRAJ

(An Autonomous Constituent PG College of the University of Allahabad)

STUDENT COMPLIANCE NOTICE

(Applicable from Session 2026 – 2027)

ON-CAMPUS USE OF ELECTRONIC DEVICES & PROTECTION OF ACADEMIC CONTENT

Introduction:

This notice outlines the institutional rules regarding the use of personal electronic devices (such as mobile phones, laptops, and tablets) and the protection of academic content across all institutional premises. Designed in alignment with national regulatory directives, copyright law, and institutional IT policies, these guidelines ensure an environment that safeguards intellectual property, protects student and faculty privacy, and preserves academic decorum. Compliance with these rules is mandatory for all enrolled students in all academic zones, including classrooms, lecture halls, laboratories, libraries, seminar rooms, auditorium, etc.

Do's and Don'ts:

- **DO'S**
    - **Keep Devices Silent:** Switch off mobile phones and electronic devices or set them to silent mode during instructional hours.
    - **Obtain Written Consent:** Secure clear, prior written approval from designated faculty member before capturing any lecture slides, whiteboards, or course handouts.
    - **Respect Intellectual Property:** Treat all faculty lectures, lesson plans, research data, and presentation slides as protected copyrighted material.
    - **Use Devices for Class Purpose Only:** Limit electronic device usage during class strictly to designated pedagogical activities only after obtaining authorization from the concerned faculty member.
- **DON'TS**
    - **DO NOT Record Lectures:** Unauthorized audio, video, or digital recording of lectures, lab demonstrations, question & answer sessions, tutorial classes or academic discussions of any form is strictly prohibited. This includes but is not limited to making reels, shorts, snippets, etc. inside academic spaces including classrooms, lecture halls, laboratories, libraries, seminar rooms, auditorium, etc.
    - **DO NOT Photograph Class Materials:** Taking photos of PowerPoint slides, white/green boards, or physical handouts without a clear consent from the instructor/teacher is completely forbidden.
    - **DO NOT Share or Upload Course Content:** Uploading recorded lectures, course materials or classroom videos to external cloud drives,

social media platforms, or student portals violates institutional IT policy and constitutes copyright infringement.
   - **DO NOT Disrupt Academic Sessions:** Using electronic devices in a manner that creates interruptions or compromises the privacy and candid dialogue of the classroom is not permitted.

Exceptions:

- **Reasonable Accommodation for Disability Support:** Students who require recording devices as part of documented disability support approved by competent authority must obtain prior written authorization from both the office of the Dean, Student Welfare and the respective faculty member.

Enforcement:

Failure to comply with this policy compromises academic integrity and exposes students to severe consequences:

- **Device Confiscation:** Any device used in violation of this policy will be confiscated immediately for inspection.
- **Disciplinary Action:** Violators will face immediate disciplinary proceedings under the official Student Code of Conduct and/or as per the decision of the College Proctorial Board.
- **Legal Action:** Unauthorized recording and digital redistribution expose students to civil and criminal liabilities under the Copyright Act, 1957, as well as relevant cyberlaw provisions.

****

छात्रों के लिए अनुपालन सूचना

(सत्र २०२६ – २०२७ से प्रभावी)

<u>कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग और एकेडमिक कंटेंट की सुरक्षा</u>

प्रस्तावना (Introduction):

यह नोटिस संस्थान के सभी परिसरों में पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट) के इस्तेमाल और एकेडमिक कंटेंट की सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में बताता है। राष्ट्रीय रेगुलेटरी निर्देशों, कॉपीराइट कानून और संस्थान की IT पॉलिसी के अनुसार बनाई गई ये गाइडलाइंस एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है, छात्रों और फैकल्टी की प्राइवेसी की रक्षा करता है और एकेडमिक शिष्टाचार बनाए रखता है। सभी एकेडमिक ज़ोन (जैसे क्लासरूम, लेक्चर हॉल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, सेमिनार रूम, ऑडिटोरियम आदि) में सभी एनरोल्ड छात्रों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

क्या करें अथवा न करें (Do's and Don'ts):

- **क्या करें (DO'S)**
  - **डिवाइस को साइलेंट रखें:** पढ़ाई-लिखाई के समय मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर दें या साइलेंट मोड पर रखें।
  - **लिखित सहमति लें:** किसी भी लेक्चर स्लाइड, व्हाइटबोर्ड या कोर्स हैंडआउट की रिकॉर्डिंग या फोटो लेने से पहले, तय फैकल्टी सदस्य से स्पष्ट और पहले से लिखित मंज़ूरी लें।
  - **बौद्धिक संपदा का सम्मान करें:** सभी फैकल्टी लेक्चर, लेसन प्लान, रिसर्च डेटा और प्रेजेंटेशन स्लाइड को सुरक्षित कॉपीराइट सामग्री मानें।
  - **डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ़ क्लास के काम के लिए करें:** क्लास के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ़ तय पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियों के लिए ही करें, और इसके लिए संबंधित फैकल्टी मेंबर से मंज़ूरी ज़रूर लें।
- **क्या ना करें (DON'TS)**
  - **लेक्चर रिकॉर्ड न करें:** किसी भी तरह के लेक्चर, लैब डेमोंस्ट्रेशन, सवाल-जवाब सेशन, ट्यूटोरियल क्लास या एकेडमिक चर्चाओं की बिना इजाज़त ऑडियो, वीडियो या डिजिटल रिकॉर्डिंग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें क्लासरूम, लेक्चर हॉल, लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार रूम, ऑडिटोरियम वगैरह जैसी एकेडमिक जगहों के अंदर रील्स, शॉर्ट्स, स्निपेट्स वगैरह बनाना भी शामिल है।
  - **क्लास के कोर्स मटीरियल की फ़ोटो न लें:** इंस्ट्रक्टर या टीचर की साफ़ मंज़ूरी के बिना पॉवरपॉइंट स्लाइड, व्हाइट/ग्रीन बोर्ड या फ़िज़िकल हैंडआउट की फ़ोटो लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

- **कोर्स का कंटेंट शेयर या अपलोड न करें:** रिकॉर्ड किए गए लेक्चर, कोर्स मटीरियल या क्लासरूम के वीडियो को बाहरी क्लाउड ड्राइव, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड करना संस्थान की IT पॉलिसी का उल्लंघन है और यह कॉपीराइट का उल्लंघन भी है।
- **शैक्षणिक सत्रों में बाधा न डालें:** इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल इस तरह से करना जिससे क्लास में रुकावट आए या क्लास की प्राइवेसी या खुलकर बातचीत करने के माहौल पर असर पड़े, इसकी इजाज़त नहीं है।

अपवाद (Exceptions):

- **विकलांगता सहायता के लिए उचित व्यवस्था:** जिन छात्रों को सक्षम अधिकारी द्वारा मंज़ूर की गई विकलांगता सहायता के तहत रिकॉर्डिंग डिवाइस की ज़रूरत है, उन्हें डीन, स्टूडेंट वेलफ़ेयर के ऑफ़िस और संबंधित फ़ैकल्टी सदस्य, दोनों से पहले से लिखित मंज़ूरी लेनी होगी।

नियम पालन (Enforcement):

यह व्यवस्था नहीं पालन करने की अवस्था में, गम्भीरतनुसार निम्न दंड दिए जा सकते हैं:

- **डिवाइस ज़ब्त करना:** इस पॉलिसी का उल्लंघन करने पर इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी डिवाइस को जांच के लिए तुरंत ज़ब्त कर लिया जाएगा।
- **अनुशासनात्मक कार्रवाई:** नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ आधिकारिक 'स्टूडेंट कोड ऑफ़ कंडक्ट' और/या कॉलेज प्रॉक्टोरियल बोर्ड के फ़ैसले के अनुसार तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- **कानूनी कार्रवाई:** बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग और डिजिटल रूप से दोबारा शेयर करने पर छात्रों पर कॉपीराइट एक्ट, 1957 और संबंधित साइबर कानूनों के तहत नागरिक और आपराधिक कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

****